बिहार सरकार

**योजना एवं विकास विभाग**

पत्रांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–52/2014–5647/यो.वि.,दिनांक 04 दिसम्बर,2014

प्रेषक,

**पंकज कुमार,**
सचिव

सेवा में,

**सभी जिला पदाधिकारी,**
बिहार

विषयः **मनरेगा योजना के तहत संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं की सेवा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु लेने के संबंध में।**

प्रसंगः विभागीय ज्ञापांक 4608 दिनांक 07.10.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन के फलस्वरूप 15 लाख रूपये तक की योजनाओं को भी विभागीय रूप से कराने का प्रावधान किया गया है। इसके कारण स्थानीय स्तर पर छोटी–छोटी योजनाओं के अनुशंसा माननीय विधानमंडल सदस्यों द्वारा की जा रही है। इन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त कार्यबल की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए ज्ञापांक 4608 दिनांक 07.10.2014 से राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रखंडों में मनरेगा योजना के अंतर्गत संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता की सेवा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त उनके पदस्थापित प्रखंड कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ली जायेगी।

विदित हो कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा 3961.28 करोड़ की लागत से 40591 योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इनमें योजना विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अतिरिक्त अन्य विभागों की योजनाएँ यथा पर्यटन विभाग की योजना, मुख्यमंत्री सेतु योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा थरूहट क्षेत्र विकास योजना का भी कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अभियंताओं को कभी जिला अभियंता तो कभी जिला शहरी विकास अभिकरण का भी प्रभार दिया गया है। फलस्वरूप स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अभियंताओं पर आवश्यकता से अधिक कार्य का बोझ बढ़ जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग के अभियंताओं एवं ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा योजना के कनीय अभियंताओं को छोड़कर अन्य विभाग की

योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अग्रिम की राशि बिना प्रशासी विभाग के सहमति से उपलब्ध कराना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय विधानमंडल सदस्यों की अनुशंसा पर ली गयी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखण्डों में मनरेगा योजना के तहत संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं को लगाया जाय तथा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अभियंताओं को उपर्युक्त वर्णित अन्य विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन में नहीं लगाया जाय और न ही इन्हें किसी अन्य विभाग/योजनाओं का प्रभार दिया जाय।

विश्वासभाजन

4/12/2014

(पंकज कुमार)
सचिव

ज्ञापांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–52/2014–5647/यो.वि.,दिनांक 04 दिसम्बर,2014

प्रतिलिपिः मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/2014
सचिव

ज्ञापांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–52/2014–5647/यो.वि.,दिनांक 04 दिसम्बर,2014

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/2014
सचिव

ज्ञापांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–52/2014–5647/यो.वि.,दिनांक 04 दिसम्बर,2014

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/2014
सचिव

ज्ञापांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–52/2014–5647/यो.वि.,दिनांक 04 दिसम्बर,2014

प्रतिलिपिः विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4/12/2014
सचिव,
योजना एवं विकास विभाग